



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062020-220231
CG-DL-E-27062020-220231

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]
No. 314]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2020/आषाढ 5, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2020/ASHADHA 5, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2020

सा.का.नि. 414(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 887(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड (3), उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, से तीस दिनों की अवधि के अवसान होने से पहले, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 29 नवम्बर, 2019 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 93, 93क, 93ख और 93ग में निम्नलिखित 'सारणी' रखी जाएगी, अर्थात् :--

"93. मोटर वाहन की चौड़ाई, लंबाई और ऊँचाई: - (1). (क). मोटर वाहन के समग्र आयाम नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होंगे जैसा कि लागू होता है।

(I) दो पहिया वाहन

सारणी

क्रमसंख्या	वाहन की श्रेणी	चौड़ाई (मीटर)	लंबाई (मीटर)	ऊँचाई (मीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(1) दो पहिया वाहन (एल 1 श्रेणी)	1.0	4.0	2.5
2.	(2) दो पहिया वाहन (एल 2 श्रेणी)	2.0	4.0	2.5

(II) तीन पहिया श्रेणी एल 5 एम/ एल 5 एन और ई-रिक्शा / ई-कार्ट

सारणी

क्रमसंख्या	वाहन की श्रेणी	चौड़ाई (मीटर)	लंबाई (मीटर)	ऊँचाई (मीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री व्हीलर श्रेणी (एल-5 कैटगरी)	1.6	4.0	2.5
2.	ई-रिक्शा / ई-कार्ट	1.0	2.8	1.8

(III) क्वाड्रिसाइकिल श्रेणी एल7एम एल7एन

सारणी

क्रमसंख्या	वाहन की श्रेणी	चौड़ाई (मीटर)	लंबाई (मीटर)	ऊँचाई (मीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	एल7-एम क्वाड्रिसाइकिल यात्री श्रेणी	1.5	3.0	2.5
2.	एल7-एन क्वाड्रिसाइकिल माल श्रेणी	1.5	3.7	2.5

(IV) निर्माण उपकरण वाहन

सारणी

क्र. सं.	वाहन की श्रेणी	चौड़ाई (मीटर)	लंबाई (मीटर)	ऊँचाई (मीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	निर्माण उपकरण वाहन	3.0	12.75	4.75
2.	2 धुरी से अधिक सहित निर्माण उपकरण वाहन	3.0	18.0	4.75

अतिरिक्त शर्त:-

- (i) निर्माण उपकरण वाहन और कंबाइन हार्वेस्टर को आगे और पीछे के किनारों पर 2.6 मीटर से अधिक चौड़ाई के भाग पर पीले और काले रंग की ज़ेबरा पट्टियों में पोता जाएगा। संलग्नकों, यदि कोई हो, पर ज़ेबरा पट्टियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त निर्माण उपकरण वाहन और कंबाइन हार्वेस्टर को रात के समय वाहन चलाने के लिए सुसज्जित और उपयुक्त रूप से पार्किंग के लिए वाहन के सामने की तरफ सफेद या पीली बत्ती और पीछे की तरफ लाल बत्ती होनी चाहिए।

(V) मोटर वाहन श्रेणी एम

सारणी

क्र. सं.	वाहन की श्रेणी	चौड़ाई (मीटर)	लंबाई (मीटर)	ऊंचाई (मीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	एम 1	2.6	12.0	4.0
2.	एम 2	2.6	12.0	4.0
3.	डबल डेक सहित 2 धुरी के साथ एम 3	2.6	13.5	4.0
4.	डबल डेक सहित 3 धुरी के साथ एम 3	2.6	15.0	4.0
5.	दो धुरी के साथ शयन यान	2.6	13.5	4.0
6.	तीन धुरी के साथ शयन यान	2.6	15.0	4.0
7.	हवाई अड्डा यात्री बस (टारमैक बस)	3.2	15.0	3.8
8.	एकल आर्टिकुलेटेड यात्री परिवहन	2.6	18.75	4.0
9.	दोहरा आर्टिकुलेटेड यात्री परिवहन	2.6	25.0	4.0

- (i) एकल आर्टिकुलेटेड यात्री परिवहन वाहनों और दोहरा आर्टिकुलेटेड यात्री परिवहन वाहनों के मामले में, स्थानीय सड़क की दशा, चौड़ाई, यातायात में वाहन की गतिशीलता, जैसी उपयुक्त समझी जाए, के आधार पर चयनित मार्गों पर उनके चलन के संबंध में राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त की जाएगी। इन यात्री परिवहन वाहनों में और उसके चारों तरफ समुचित दृश्यता के लिए क्लोज-सर्किट टीवी प्रणाली की आवश्यकता होगी तथा चालक द्वारा सुरक्षा कायम रखी जानी चाहिए। ऐसे यात्री परिवहन वाहन में इंटरकॉम प्रणाली भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, दोहरे आर्टिकुलेटेड यात्री परिवहन वाहन के केवल निचले डेक पर ही यात्रियों को खड़े होने की अनुमति होगी।
- (ii) डबल डेकड मोटर वाहन के मामले में उसकी समग्र ऊंचाई 4.75 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(VI) मोटर वाहन श्रेणी एन

सारणी

क्र. सं.	वाहन की श्रेणी	चौड़ाई (मीटर)	लंबाई (मीटर)	ऊंचाई (मीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	एन 1 (2 धुरी वाले)	2.6	6.5	3.0
2.	एन 2 (2 या अधिक धुरी वाले परिवहन वाहन)	2.6	12.0	4.0

3.	एन 3 (2 या अधिक धुरी वाले वाहन)	2.6	12.0	4.0
----	---------------------------------	-----	------	-----

परंतु यदि, कोई वाहन वाहक या पशुधन वाहक वाहन है, जिसकी भार बॉडी खुली या बंद है अथवा निर्माण उपकरण वाहन है, तो मोटर वाहन की समग्र ऊंचाई 4.75 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए;

परंतु यह कि वाहनों को ले जाने के लिए वाहक वाहन में अधिकतम दो डेक हो सकते हैं;

परंतु यह भी कि यदि, मोटर वाहन में भार बॉडी बंद है या आईएसओ सीरीज़-1 के माल भाड़ा कंटेनर या फैब्रिकेटेड / रेफ्रिजरेटेड कंटेनर ले जाने वाले कठोर ट्रक / सेमी ट्रेलर 4.52 मीटर से अधिक नहीं होने चाहिए।

परंतु यह भी कि यदि, मोटर वाहन में केनोपी के साथ झुकाव वाला भार है, तो मोटर वाहन की कुल ऊंचाई 4.2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(VII) ट्रेलरश्रेणी टी

सारणी

क्र. सं.	वाहन की श्रेणी	चौड़ाई (मीटर)	लंबाई (मीटर)	ऊंचाई (मीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ट्रैक्टर के साथ सेमी-ट्रेलर	2.6	18.75	4.0
2.	ट्रक-ट्रेलर / ट्रैक्टर-ट्रेलर	2.6	18.75	4.0
3.	रोड ट्रेन	2.6	25	4.5

परंतु कोई सेमी-ट्रेलर की भार बॉडी बंद है, तो मोटर वाहन की कुल ऊंचाई 4.52 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, आईएसओ सीरीज़-1 के माल भाड़ा कंटेनर या फैब्रिकेटेड / रेफ्रिजरेटेड कंटेनर ले जाने वाले कठोर ट्रक / सेमी ट्रेलर 4.52 मीटर से अधिक नहीं होने चाहिए।

परंतु यह और कि ऑटो निर्माताओं द्वारा मोटर वाहन / निर्माण उपकरण मोटर वाहन / पशुधन / सफेद बजाजी माल, बंद भार बॉडी या अविभाज्य भार को ले जाने के काम में लगाए गए ट्रक-ट्रेलर / ट्रैक्टर-ट्रेलर की समग्र ऊंचाई 4.75 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(i) ट्रैक्टर के साथ सेमी ट्रेलर की समग्र लंबाई निम्नलिखित शर्तों के अधीन है अर्थात :-

(क) ट्रैक्टर का व्हीलबेस 6.3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख) पांचवें गियर कपलिंग पॉइंट और ट्रेलर के सबसे पीछे के बिंदु के बीच की दूरी 12.45 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) रोड ट्रेन एक मोटर वाहन होता है, जिसे मोटर वाहन या ट्रेलरों और सेमी ट्रेलरों के संयोजन से जुड़े ट्रैक्टर द्वारा खींचा जा सकता है।

परंतु रोड ट्रेन में एक बंद भार बॉडी है, तो मोटर वाहन की कुल ऊंचाई 4.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) ऑटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा अपने कारखानों से देश में अलग-अलग बिक्री केंद्रों के लिए मोटर वाहन ले जाने में जुटे आर्टिकुलेटेड या ट्रक ट्रेलर अथवा ट्रैक्टर-ट्रेलर वाहनों के कंटेनर में ले जा रहे मोटर वाहनों के सत्यापन की अनुमति देने के लिए कंटेनर बॉडी पर स्लाइडिंग निरीक्षण खिड़की प्रदान की जानी चाहिए और स्लाइडिंग निरीक्षण खिड़की की लंबाई न्यूनतम 400 मिलीमीटर और ऊंचाई 300 मिलीमीटर होनी चाहिए तथा कम से कम एक स्लाइडिंग निरीक्षण खिड़की को वाहन के तीसरे मध्य में लगाना चाहिए, सबसे आगे की स्लाइडिंग

निरीक्षण खिड़कीसामने से 3 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होनी चाहिए और ट्रेलरों के मामले में, इस दूरी के माप के लिए ड्रॉबार की लंबाई को ध्यान में रखा जाएगा और दो निकटवर्ती स्लाइडिंग निरीक्षण खिड़कियों के बीच की दूरी 4 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और स्लाइडिंग निरीक्षण खिड़की के ऊपरी किनारे की ऊंचाई जमीन से 1.8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(VIII) मॉड्यूलर जलीय ट्रेलर / वायवीय ट्रेलर

सारणी

क्र. सं.	वाहन की श्रेणी	चौड़ाई (मीटर)	लंबाई (मीटर)	ऊंचाई (मीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मॉड्यूलर जलीय ट्रेलर, अधिकतम आठ धुरी पंक्तियों के साथ कोई भी एकल मॉड्यूल	3.0	19.0	4.75
2.	एक खींचने वाले ट्रैक्टर के साथ मॉड्यूलर जलीय ट्रेलर	3.0	29.0	4.75
3.	तीन या अधिक धुरी के खींचने वाले ट्रैक्टर	2.6	10.0	4.2
4.	वायवीय ट्रेलर*	2.6	19.0	4.75

टिप्पणियां:

वायवीय ट्रेलर एयर सस्पेंशन के ट्रेलर हैं

(IX) अपवादात्मक लंबाई के यांत्रिक ट्रेलर

सारणी

क्र. सं.	वाहन की श्रेणी	चौड़ाई (मीटर)	लंबाई (मीटर)	ऊंचाई (मीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a	*एक खींचने वाले ट्रैक्टर के साथ अपवादात्मक लंबाई सहितयांत्रिक ट्रेलर	3.0	29.0	4.0

टिप्पणियां:-

18.75 मीटर तक की लंबाई के यांत्रिक ट्रेलरों, जो कि केंद्रीय मोटर यान नियम की शर्तों जैसे धुरी भार, मोड़ने के दायरे आदि का अनुपालन करते हुए अविभाज्य खेप की लंबाई के आधार पर 50 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है।

(x) कृषि श्रेणी ए

सारणी

क्र. सं.	वाहन की श्रेणी	चौड़ाई (मीटर)	लंबाई (मीटर)	ऊंचाई (मीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कृषि ट्रैक्टर	2.6	6.5	3.8
2.	कंबाइन हार्वेस्टर	3.3	15.0	4.75
3.	पावर टिलर	1.5	3.5	2.0
4.	ट्रेलर से युग्मित पावर टिलर	1.7	6.0	2.0

(ख) सामान्य शर्तें: उपरोक्त सीएमवीआर 93 (1) (ए) में निर्धारित आयाम निम्नलिखित शर्तों और स्पष्टीकरणों के अधीन हैं।

(i) एक मोटर वाहन की समग्र चौड़ाई को मापने में पिछली दृष्टि वाला शीशा या रक्षी रेल या बाँडी के प्रत्येक पार्श्व पर 20 मिलीमीटर की अधिकतम मोटाई का दिशा सूचक रब-रेल (रबर बीडिंग) अथवा साइड फुट स्टेप पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी मोटर वाहन को इस तरह से नहीं लादा जाना चाहिए कि भार या उसका कोई भाग बाहर निकल जाए -

- (क) बाँडी के पार्श्व की ओर से बाहर;
- (ख) वाहन के भार बाँडी के सबसे आगे के हिस्से से बाहर की ओर;
- (ग) वाहन के सबसे पीछे के हिस्से से बाहर की ओर;
- (घ) निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक की ऊंचाई की ओर।

(iii) अविभाज्य भार के मामले में आयामों के संबंध में निम्नलिखित छूट की अनुमति है, नामतः -

(क) यदि, प्रयुक्त मोटर वाहन की वास्तविक चौड़ाई 2.6 मीटर है, तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन इसके दोनों पार्श्व की तरफ 200 मिमी तक विस्तार की अनुमति है, नामतः -

1. अविभाज्य भार के विस्तारित हिस्से को पीले और काले रंग के पेंट से रंगा जाना चाहिए या इसी प्रकार के रंग की टेप चिपकाई जानी चाहिए।

2. विभाज्य भार के दोनों ओर अंतिम छोर पर पीछे की तरफ लाल बत्ती और सामने की तरफ रोशनी लगी होनी चाहिए।

(ख) ऊंचाई 4.75 मीटर तक।

स्पष्टीकरण I- इस नियम के प्रयोजन के लिए "समग्र चौड़ाई" से अभिप्रेत है, अंतिम बिंदुओं को घेरते हुए लंबवत सतहों के बीच मोटर वाहन की धुरी पर समकोण में मापी गयी मोटर वाहन की चौड़ाई।

स्पष्टीकरण II- इस नियम के प्रयोजन के लिए, मोटर वाहन की "समग्र लंबाई" से अभिप्रेत है, समानान्तर सतहों के बीच मापी गई वाहन की लंबाई जो वाहन के बाहरी उभरे बिन्दुओं से गुजरती है जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:-

- (i) चालू करने वाला कोई हैंडल;
- (ii) जब डाउन हो, तो कोई हूड;
- (iii) कोई अग्नि शमन यंत्र जो वाहन से जुड़ा हो;

- (iv) कोई पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स जिसकी लंबाई वाहन के धुरी के समानान्तर मापी गई है, वह 30 सेमी से अधिक नहीं है;
- (v) किसी वाहन के छत से लादने या उतारने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी या किसी वाहन में लगा कोई सिरा या सूचक प्रकाश या नंबर प्लेट;
- (vi) किसी वाहन से लगा कोई अतिरिक्त चक्का या अतिरिक्त व्हील ब्रैकेट या बंपर;
- (vii) कोई भी खींचने वाला हुक या अन्य फिटमेंट जो खंड (iii) से (vi) में उल्लिखित किसी फिटमेंट से बाहर नहीं निकलता हो;
- (viii) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दृष्टि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगाए गए कोई भी उपकरण;
- (ix) पीछे फुट स्टेप

स्पष्टीकरण III- इस नियम के प्रयोजन के लिए, मोटर वाहन की "समग्र ऊंचाई" से अभिप्रेत है, उस सतह से मापी गई मोटर वाहनों की समग्र ऊंचाई, जिस पर वाहन खड़ा हुआ है। एम श्रेणी के वाहनों के मामले में समग्र ऊंचाई में एयर कंडीशनिंग इकाई की ऊंचाई को शामिल नहीं किया गया है।

टिप्पण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहनों की समग्र ऊंचाई को मापने में पिछली दृष्टि के शीशे पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) इस नियम में कृषि ट्रैक्टरों के आयाम निम्नानुसार हैं।

- i) कृषि ट्रैक्टर और पावर टिलर की समग्र चौड़ाई का अभिप्रेत है, अंतिम बिंदुओं को घेरते हुए लंबवत सतहों के बीच वाहन की के अक्ष के समकोण पर मापी गयी वाहन की चौड़ाई।
- ii) कृषि ट्रैक्टर और पावर टिलर की समग्र लंबाई का अभिप्रेत है, वाहन के अंतिम उभरे बिन्दुओं से गुजरती हुई समानान्तर सतहों के बीच मापी गई वाहन की लंबाई।
- iii) कृषि ट्रैक्टर और पावर टिलर की "समग्र ऊंचाई" से अभिप्रेत है, उस सतह से मापी गई वाहन की समग्र ऊंचाई, जिस पर वाहन खड़ा हुआ है।

स्पष्टीकरण IV- "हवाई अड्डा यात्री बस (टार्मैक बस)" शब्द का अभिप्रेत है, बस के दोनों तरफ दरवाजे हैं, जिनका उपयोग विशेष रूप से यात्रियों को हवाई अड्डा टर्मिनल से विमान तक और विमान से हवाई अड्डा टर्मिनल तक लाने-ले जाने में किया जाता है और यह हवाई अड्डे के टर्मिनल के एयर साइड पर अधिकतम तीस किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं।

टिप्पण: पंजीकरण प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा छूट दिए गए अग्नि शमन टॉवर वैगनों और अन्य विशेष प्रयोजन वाहनों को, वाहनों के लिए आवश्यक ऊंचाई से छूट दी जानी चाहिए।

स्पष्टीकरण V- इस नियम के प्रयोजन के लिए, "अविभाज्य भार" का अभिप्रेत है कि कोई भी वस्तु या माल जिसे अत्यधिक प्रयासों, व्यय अथवा क्षति के जोखिम के बिना विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा इसे वाहनों और सड़कों के अनुमेय भार और / या आयामों को बढ़ाए बगैर मोटर वाहन पर नहीं ले जाया जा सकता है।


स्पष्टीकरण VI- व्हील बेस से अभिप्रेत है-

(क) केवल दो धुरीय वाहनों के मामले में, अगली और पिछली धुरी के केंद्र बिंदु के बीच वाहन के लंबवत अक्ष से धरातल के समानान्तर मापी गई क्षैतिज दूरी;

- (ख) केवल तीन धुरीय वाहन के मामले में, जिसमें अगलीधुरी केवल वाहन को खींचने के लिए है, अगले अक्ष के केंद्र बिंदु और पिछले दो अक्षों के बीच के मध्य बिंदुओं के बीच धरातल के समानान्तर मापी गई क्षैतिज दूरी;
- (ग) तीन से अधिक धुरी वाले वाहनों और खींचने योग्य धुरी के साथ या बिना सुसज्जित व्हीलबेस के मामले में, अगली धुरी संयोजन के मध्य बिंदु और पिछली धुरी संयोजन के मध्य बिंदु के बीच मापित दूरी।

टिप्पण: (i) "खींचने योग्य धुरी" का अभिप्रेत है, एक धुरी, जिसे पहले इंडेंट के अनुसार एक्सल-लिफ्ट डिवाइस द्वारा उठाया या नीचे किया जा सकता है;

(ii) "एक्सल-लिफ्ट डिवाइस" का अभिप्रेत है, वाहन की लदान की स्थिति के अनुसार या तो पहियों को जमीन से ऊपर उठाकर या उन्हें जमीन तक नीचे लाकर अथवा पहियों को जमीन से उठाए बगैर (उदाहरण के लिए एयर सस्पेंशन सिस्टम या अन्य प्रणाली के मामले में) जब वाहन पूरी तरह से लदा हुआ नहीं है, तब टायर की क्षति को कम करने के लिए या ड्राइविंग एक्सल पर भार बढ़ाकर मोटर वाहनों या वाहन संयोजनों के लिए ढलान वाली जमीन पर चलाना (शुरू करना) आसान बनाने हेतु धुरी(यों) पर भार को कम करने या बढ़ाने के उद्देश्य से एक वाहन में स्थायी रूप से फिट करने के लिए एक उपकरण।



2. ओवरहैंग:-

- (1) किसी ट्रैक्टर या खींचने वाले ट्रैक्टर का ओवरहैंग 1.85मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (2) ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण वाहन और कंबाइन हारवेस्टर के अलावा मोटर वाहन का ओवरहैंग पहिये के आधार का 60% से अधिक नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, "ओवरहैंग" का अभिप्रेत है, निम्नानुसार निर्दिष्ट दो बिंदुओं के बीच से गुजरने वाले ऐसे अक्ष पर दो अधोलंब सतहों के बीच समकोण पर वाहनों के लंबवत अक्ष के समानान्तर क्षैतिज रूप से मापी गई दूरी:

(क) निम्नलिखित के बगैर वाहन का सबसे पीछे का बिंदु-

- (i) जब डाउन हो, तो कोई हूड;
- (ii) कोई पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स जिसकी लंबाई वाहन के धुरी के समानान्तर मापी गई है, वह 30 सेमी से अधिक नहीं है;
- (iii) किसी वाहन में जुड़ी टर्न-टेबल अग्नि शमन का भाग के रूप में कोई सीढ़ी;
- (iv) किसी वाहन के छत से लादने या उतारने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी या किसी वाहन में लगा कोई सिरा या सूचक प्रकाश या नंबर प्लेट;
- (v) किसी वाहन से लगा कोई अतिरिक्त चक्का या अतिरिक्त व्हील ब्रैकेट या बंपर;

(vi) किसी मोटर वाहन में लगाया गया कोई भी लगेज कैरियर, जिसे केवल यात्रियोंके सामान की ढुलाई के लिए निर्मित किया गया है तथा चालक को छोड़कर सात से अधिक यात्री को नहीं ले जाने के लिए रूपांतरित किया गया है;

(vi) कोई भी खींचने वाला हुक या अन्य साज- सामान जो खंड (iii) से (vi) में उल्लिखित किसी साज-सामान से बाहर नहीं निकलता हो;

(vii) किसी भी ट्रैक्टर के 3-बिंदु अनुबंधन पर कोई उठा हुआ उपकरण।
बशर्ते कि किसी किराये के वाहन के मामले में: -

(क) वाहन के पीछे लगे किसी बम्पर या विज्ञापन पैनल का विस्तारित हिस्सा पंद्रह सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए;


(ख) किसी विज्ञापन पैनल के संबंध में विस्तारित हिस्सा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे पिछली दृष्टि शीशे से देखने या पीछे से आपातकालीन निकास में बाधा हो अथवा दोनों;

(i) केवल दो धुरी वाले वाहन के मामले में, जिनमें से एक स्टीयरिंग एक्सल नहीं है, उस धुरी का केंद्र बिंदु; या

(ii) केवल तीन धुरी और केवल आगे की धुरी स्टीयरिंग एक्सल है, वाले वाहन के मामले में सबसे पीछे की धुरी (ओं) को "निश्चित" या "खींचने योग्य (लिफ्ट एक्सल) करने के बावजूद सबसे पीछे वाली धुरी का केंद्र बिंदु;

(iii) केवल तीन धुरी, जिसमें आगे की दो धुरी स्टीयरिंग एक्सल है, वाले वाहन के मामले में सबसे पीछे की धुरी (ओं) को "निश्चित" या "खींचने योग्य (लिफ्ट एक्सल) करने के बावजूद सबसे पीछे वाली धुरी का केंद्र बिंदु;

(iv) चार या चार से अधिक धुरी वाले वाहन के मामले में; सबसे पीछे की धुरी (ओं) को "निश्चित" या "खींचने योग्य (लिफ्ट एक्सल) करने के बावजूद सबसे पीछे वाली धुरी का केंद्र बिंदु हो;



(v) किसी भी अन्य मामले में, वाहन के अनुदैर्घ्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु जैसे कि समकोण से उस अक्ष तक खींची गई एक रेखा वाहन के न्यूनतम मोड़ के केंद्र से होकर गुजरेगी।

(ग) यात्रा मोड में निर्माण उपकरण वाहन या कंबाइन हार्वेस्टर का ओवरहैंग आगे या पीछे 7.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए:

बशर्ते कि विशेष रूप से गन्ने की कटाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंबाइन हार्वेस्टर के मामले में, यात्रा मोड में ओवरहैंग पीछे 8.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।

(घ) कृषि ट्रैक्टर का ओवरहैड 1.85 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि पीछे के पहिये की केंद्रीय रेखा से परे पार्श्व की तरफ 700मिमी तक विस्तार की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "ओवरहैंग" का अभिप्रेत है, निर्माण उपकरण वाहन या कंबाइन हार्वेस्टर के दो लंबवत सतहों के बीच इस तरह के अक्ष के समकोणों पर अनुदैर्घ्य अक्ष के क्षेत्रज और समानांतर रूप से मापी गई लम्बाई / ऊंचाई -

(i) ओवरहैंग के लिए वाहन के सबसे सामने का बिंदु और सामने की धुरी का केंद्र बिंदु,

(ii) नियम 2 के उप-नियम (2) में यथा लागू मद (i) से (vii) में उल्लिखित हिस्सों या फिटमेंट के लिए सामने के ओवरहैंग हेतु वाहन का सबसे पीछे का बिंदु और पीछे की धुरी का केंद्र बिंदु।

4. एल 1 और एल 2, ई-कार्ट / ई-रिक्शा और एल 5 श्रेणी के वाहनों को छोड़कर जब वाहन चल रहा है और उसके पीछे एकल पहिये हैं, तो दिशा सूचक के अलावा वाहन का कोई भी हिस्सा या ड्राइविंग मिरर पीछे के पहिये की केंद्रीय रेखा से परे पार्श्व में 355 मिलीमीटर से अधिक विस्तारित नहीं होना चाहिए और अगर पीछे के पहिये दोहरे हैं, तो सबसे बाहरी टायर के किनारे से परे 152 मिलीमीटर से अधिक विस्तारित नहीं होना चाहिए। बशर्ते कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपनी ओर से प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, यदि संतुष्ट हो जाते हैं कि किसी सड़क या पुल के प्रकार के कारण या लोक सुरक्षा के हित में आवश्यक है, तो किसी विनिर्दिष्ट मार्ग या क्षेत्र में मोटर वाहन के प्रचालन को प्रतिषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकेगा जब तक कि ऐसा वाहन, ऐसे मार्ग या क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है।

5. यात्रा मोड में दिशा सूचक को छोड़कर निर्माण उपकरण वाहन या कंबाइन हार्वेस्टर का कोई भी हिस्सा या ड्राइविंग मिरर एकल या दोहरे टायर पर ध्यान दिए बगैर टायरों या व्हील ड्रम्स के बाहरी किनारे से पार्श्व में 300 मिलीमीटर से अधिक विस्तार नहीं होगा।]

[नं. आरटी-11028/05/2018-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपधारा (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक 401(अ), तारीख 24 जून, 2020 को किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2020

G.S.R. 414(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R 887(E), dated the 29th November, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 29th November, 2019;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rules 93, 93A, 93B and 93C the following rule shall be substituted, namely: —

“93. **Motor Vehicle Width, Length and Height:**- (1).(A). The overall dimensions of motor vehicles shall not exceed the limits as specified in tables given below for each category as applicable.

(I) **Two wheeled vehicles**

TABLE

Serial Number	Category of Vehicle	Width (Meters)	Length (Meters)	Height (Meters)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Two wheeled vehicles(L1 category)	1.0	4.0	2.5
2.	Two wheeled vehicles(L2 category)	2.0	4.0	2.5

(II) **Three wheeler Category L5 M/ L5 N and E-rickshaw/E-cart**

TABLE

Serial Number	Category of Vehicle	Width (Meters)	Length (Meters)	Height (Meters)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Three wheeler Category (L-5 Category)	1.6	4.0	2.5
2.	E-rickshaw /E-cart	1.0	2.8	1.8

(III) **Quadricycle Category L7M/ L7N**

TABLE

Serial Number	Category of Vehicle	Width (Meters)	Length (Meters)	Height (Meters)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Quadricycle Passenger Category L7-M	1.5	3.0	2.5
2.	Quadricycle Goods Category L7-N	1.5	3.7	2.5

(IV) **Construction Equipment vehicle (CEV)**

TABLE

Serial Number	Category of Vehicle	Width (Meters)	Length (Meters)	Height (Meters)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Construction Equipment vehicle	3.0	12.75	4.75
2.	Construction Equipment vehicle with more than 2 axle	3.0	18.0	4.75

Additional Conditions: Construction equipment vehicles and combine harvesters shall be painted by yellow and black zebra stripes on the portion of the width that exceeds 2.6 meters on the front and rear sides. The zebra stripes need not be used on attachments, if any. Further construction equipment vehicles and combine harvesters shall be equipped for night time driving and parking suitably with white or amber lamps at the front and red lamps at the rear.

(V) **Motor Vehicle Category M**

TABLE

Serial Number	Category of Vehicle	Width (Meters)	Length (Meters)	Height (Meters)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M1	2.6	12.0	4.0

2.	M2	2.6	12.0	4.0
3.	M3 with 2 axles including double deck	2.6	13.5	4.0
4.	M3 with 3 axles including Double Deck	2.6	15.0	4.0
5.	Sleeper Coach with two axles	2.6	13.5	4.0
6.	Sleeper Coach with three axles	2.6	15.0	4.0
7.	Airport Passenger Bus (Tarmac Bus)	3.2	15.0	3.8
8.	Single articulated passenger transport	2.6	18.75	4.0
9.	Double articulated passenger transport	2.6	25.0	4.0

(iii) In the case of single articulated passenger transport vehicles and double articulated passenger transport vehicles, permission of the State Government shall be obtained regarding their plying on selected routes depending upon local road conditions, width, maneuverability of the vehicle in traffic, as deemed fit. These passenger transport vehicles will also be required to have a closed-circuit TV system for proper visibility in and around the passenger transport vehicle by the driver to maintain safety. Intercom system shall also be provided in such passenger transport vehicle. In addition, the standing passenger will be allowed only on the lower deck of double articulated passenger transport vehicle.

(iv) In case Double Decked busses the overall height of the motor vehicle shall not exceed 4.75meters

(VI) Motor vehicle Category N

TABLE

Serial Number	Category of Vehicle	Width (Meters)	Length (Meters)	Height (Meters)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	N1 (vehicle having 2 axles)	2.6	6.5	3.0
2.	N2 (vehicle having 2 or more axles)	2.6	12.0	4.0
3.	N3 (vehicle having 2 or more axles)	2.6	12	4.0

Provided that in case motor vehicle is a vehicle carrier or livestock carrier and has open or closed load body or is a construction equipment vehicle the overall height of the motor vehicle shall not exceed 4.75meters:

Provided further that vehicle carriers can have a maximum of two decks to carry vehicles:

Provided also that in case motor vehicle has a closed load body or carrying ISO series I containers or fabricated or refrigerated containers the overall height of the motor vehicle shall not exceed 4.52 meters:

Provided also that in case motor vehicle has a tilting load body with canopy, the overall height of the motor vehicle shall not exceed 4.2 meters:

(VII) Trailers Category T

TABLE

Serial Number	Category of Vehicle	Width (Meters)	Length (Meters)	Height (Meters)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Semi-trailers with tractors	2.6	18.75	4.0
2.	Truck-trailer/Tractor-trailer	2.6	18.75	4.0
3.	Road Trains	2.6	25.25	4.5

Provided that in case semitrailer has a closed Load body the overall height of the motor vehicle **shall not exceed** 4.52meters. Also Semi trailers carrying ISO series I freight containers or Fabricated / Refrigerated containers shall not exceed 4.52 meters.

Provided further that in case Truck-trailer/Tractor-trailer engaged by Auto manufacturers to carry motor vehicles/Construction equipment Motor vehicle/ livestock/white goods has a closed load body **or** meant to carry indivisible loads, the overall height of the motor vehicle shall not exceed 4.75 m.

(iv) The overall length of semitrailer with tractor is subject the following conditions, namely:-

(a) Wheelbase of the tractor shall not exceed 6.3meters.

- (b) The distance between the fifth gear coupling point and the rearmost point of the trailer shall not exceed 12.45meters.
- (v) Road Trains is a motor vehicles wherein traction can be provided by motor vehicles or tractor connected to a combination of trailers and semitrailers:

Provided that in case road train has a closed Load body the overall height of the motor vehicle shall not exceed 4.52meters.

- (vi) Articulated or truck trailer or tractor-trailer vehicles engaged by automobile manufacturers to carry motor vehicle from their factories to different sale outlets in the country, shall be provided with a sliding inspection window on the container body, to allow verification of motor vehicles carried in the container and the sliding inspection window shall be minimum of 400 millimeters in length and 300 millimeters in height and at least one sliding inspection Window shall be fitted to the middle third of the vehicle, the foremost sliding inspection window being not further than 3 meters from the front and in the case of trailers, account shall be taken of the length of the drawbar for the measurement of this distance and the distance between two adjacent sliding inspection windows shall not exceed 4 meters and the height of the upper edge of the sliding inspection window shall not be more than 1.8 meters from the ground.

(VIII) Modular Hydraulic Trailer/Pneumatic Trailer

TABLE

Serial Number	Category of Vehicle	Width (Meters)	Length (Meters)	Height (Meters)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Modular Hydraulic trailer, any single module with maximum eight axle rows	3.0	19.0	4.75
2.	Modular Hydraulic trailer with a puller tractor	3.0	29.0	4.75
3.	Puller Tractor having three or more axles	2.6	10.0	4.2
4.	Pneumatic trailer*	2.6	19.0	4.75

Notes:

Pneumatic trailers are trailers with air suspension

(IX) Mechanical Trailers of Exceptional Length

TABLE

Serial Number	Category of Vehicle	Width (Meters)	Length (Meters)	Height (Meters)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	*Mechanical trailer with exceptional length with a puller tractor	3.0	29.0	4.0

Notes:

Mechanical Trailers with length upto 18.75meters which may be extended upto 50 meters depending on the length of the indivisible consignment, while complying with Central Motor Vehicles Rules conditions like axle load , Turning radius etc.

(x) Agriculture category A

TABLE

Serial Number	Category of Vehicle	Width (Meters)	Length (Meters)	Height (Meters)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Agricultural tractors	2.6	6.5	3.8
2.	Combine harvester	3.3	15.0	4.75
3.	Power tillers	1.5	3.5	2.0
4.	Power tiller coupled to a trailer	1.7	6.0	2.0

B General Conditions and relaxations for dimensions.-

- (i) A rear-view mirror, or guard rail or a direction indicator rub-rail (rubber beading) having maximum thickness of 20 millimeter on each side of the body or side foot step shall not be taken into consideration in measuring the overall width of a motor vehicle;
- (ii) No motor vehicle shall be loaded in such a manner that the load or any part thereof extends.-
 - (a) laterally beyond the side of the body;
 - (b) to the front beyond the foremost part of the load body of the vehicle;
 - (c) to the rear beyond the rear most part of the vehicle;
 - (d) to a height beyond the limits specified.
- (iii) In case of indivisible load following relaxations are permissible with respect to following dimensions, namely:-
 - (a) 200mm projection on each lateral side permissible in case motor vehicle used has the actual width as 2.6 meter subject to following conditions namely:-
 - (1.) Projecting portion of the indivisible load shall be painted with yellow and black reflective paint or pasted with tape having similar painting;
 - (2.) Lamp emitting red light on rear and white light on front shall attached to the extreme end of the both side of the divisible load.
 - (b) Height up to 4.75 meters.

Explanation I: For the purposes of this rule, "Overall Width" means the width of motor vehicle measured at right angles to the axis of the motor vehicle between perpendicular planes enclosing the extreme points.

Explanation II: For the purposes of this rule, "Overall Length" of motor vehicles means the length of the vehicle measured between parallel planes passing through the extreme projection points of the vehicle exclusive of following as applicable –

- (i) a starting handle;
- (ii) any hood when down;
- (iii) any fire-escape fixed to a vehicle;
- (iv) any post office letter-box, the length of which measured parallel to the axis of the vehicle, does not exceed 30 centimeters;
- (v) any ladder used for loading or unloading from the roof of the vehicle or any tail or indicator lamp or number plate fixed to a vehicle;
- (vi) any spare wheel or spare wheel bracket or bumper fitted to a vehicle;
- (vii) towing hook or any other fitment which does not project beyond any fitment covered by clauses (iii) to (vi);
- (viii) any devices fitted for meeting direct or indirect vision requirements;
- (ix) rear foot step.

Explanation III: For the purposes of this rule, "Overall Height" of vehicles means the overall height of motor vehicles measured from surface on which vehicle rests. In case of M category vehicles, overall height excludes height of air conditioning unit.

Note : Rear view mirrors shall not be taken into consideration in measuring the overall height of a motor vehicles.

- (iv) The dimensions of Agricultural Tractors in this rule are-
 - (i) Overall width of agricultural tractor and power tiller means the width of the vehicle measured at right angles to the axis of the vehicle between perpendicular planes enclosing the extreme points;
 - (ii) Overall length of agricultural tractor and power tiller means the length of the vehicle measured between parallel planes passing through the extreme projection points of the vehicle;
 - (iii) Overall height of agricultural tractor and power tiller means the overall height of vehicle measured from surface on which vehicle rests.

Explanation IV: For the purposes of this rule, "Airport Passenger Bus (Tarmac Bus)" means the Bus having doors on both sides which is exclusively used for the carrying the passengers from airport terminal to and from the aircraft and plying on the air side on the Airport terminal with maximum speed not exceeding thirty kilometer per hour.

Note : Fire escape tower wagons and other special purpose vehicles exempted by general or special order of registering authority shall be exempt from the height requirements of vehicles.


Explanation V: For the purposes of this rule, "Indivisible load" means any item or cargo that cannot be divided without extreme efforts, expense or risk of damage to it and can't be carried on motor vehicle without exceeding the permissible mass and/ or dimensions of the vehicles and roads.

Explanation VI : For the purposes of this rule, "wheel base" means,-

- (a) In the case of vehicles with only two axles, the distance measured horizontally and parallel to the longitudinal axis of the vehicle, between the centre points of the front axle and rear axle;
- (b) In case of vehicle having only three axles, and the front axles is only the steered axle, the distance measured horizontally and parallel to longitudinal axis of the vehicle between the centre of the front axle and centre point between the two rear axles;
- (c) In case of vehicles having more than three axles, and fitted with or without retractable axle, wheelbase shall be the distance measured between the centre of the front-most axle and the centre point of rear combination of non-steered axles.

Note.- (i) "retractable axle" means an axle which can be raised or lowered by the axle-lift device in accordance with first indent;

(ii) "Axle-lift device" means a device permanently fitted to a vehicle for the purpose of reducing or increasing the load on the axle (S), according to the loading conditions of the vehicle, either by raising the wheels clear-off the ground or lowering them to the ground or without raising the wheels of the ground (for Ex. In the case of Air suspension systems, or other system) in order to reduce the wear on the tyres when the vehicle is not fully laden, or make starting (moving of) on slippery ground easier for motor vehicles or vehicle combinations by increasing the load on the driving axle].



(2) **Overhang-** (1) The overhang of a tractor or puller tractors shall not exceed 1.85 metres.

(2) The overhang of the motor vehicle other than a tractor, construction equipment vehicle and combine harvester shall not exceed 60 percent of the wheel base.

Explanation : For the purpose of this rule, "overhang" means the distance measured horizontally and parallel to the longitudinal axis of the vehicles between two vertical planes at right angles to such axis passing through the two points specified hereunder:


(A) **The rearmost point of the vehicle exclusive of-**

- (i) any hood when down;
- (ii) any post office letter-box, the length of which measured parallel to the longitudinal axis of the vehicle, does not exceed thirty centimeters;
- (iii) any ladder forming part of a turn-table fire-escape fixed to a vehicle;
- (iv) any ladder used when the vehicle is at rest for loading or unloading from the roof of the vehicle, or any tail lamp or number plate fixed to a vehicle;
- (v) any spare wheel or spare wheel bracket or bumper fitted to a vehicle;

- (vi) any luggage carrier fitted to a motor vehicle constructed solely for carriage of passengers and their effects and adapted to carry not more than seven passengers exclusive of the driver;
- (vii) any towing hook or other fitment which does not project beyond any fitment mentioned in clauses (ii) to (vi);
- (viii) any mounted implement on a 3-point linkage of a tractor:

Provided that in the case of a stage carriage-

- (a) The projection of any bumper or advertisement panel fitted at the rear of the vehicle shall not exceed fifteen centimeters;
- (b) The projection in respect of an advertisement panel shall not be such as to obstruct either the vision from the rear view mirror or project through the emergency exit at the rear or both;
 - (i) In the case of a vehicle having only two axles, one of which is not a steering axle, the centre point of that axle; or
 - (ii) in the case of a vehicle having only three axles and the front axle is the only steering axle, the centre point of the rearmost axle, irrespective of rear axle(s) being "fixed" or "retractable (lift axle);
 - (iii) in the case of a vehicle having only three axles where two front axles are steering axles, the centre point of the rearmost axle, irrespective of rear axle(s) being "fixed" or "retractable (lift axle);
 - (iv) in the case of a vehicle having four or more than four axles; the centre point of the rearmost axle, irrespective of rear axle(s) being "fixed" or "retractable (lift axle);



- (v) in any other case, a point situated on the longitudinal axis of the vehicle such that a line drawn from it at right angle to that axis will pass through the centre of the minimum turning circle of the vehicle.
- (c) The overhang of the construction equipment vehicle or combine harvester shall not exceed 7.5 metres in front or rear while in the travel mode:

Provided that in case of a combine harvester exclusively used for harvesting sugarcane, the overhang shall not exceed 8.5 meters in rear while in travel mode.
- (d) The overhang of the agricultural tractor shall not exceed 1.85 meter provided that lateral projection up to 700 mm beyond the central line of the rear wheel shall be permitted.

Explanation.- For the purpose of this sub-rule, "overhang" means the length/height measured horizontally and parallel to the longitudinal axis of the construction equipment vehicle or combine harvester between two vertical planes at right angles to such axis passing through-

- (iii) the front most point of the vehicle and the Centre point of the front axle, for the front overhang,
 - (ii) The rearmost point of the vehicle and centre point of the rear axle, for the rear overhang, exclusive of the parts or fitments mentioned at items (i) to (viii) of the sub-rule (2) of rule 2 as applicable.
- (4) Except in the case of vehicles of L1 and L2, E-cart/ E-rickshaw and L5 categories, no part of the vehicle other than a direction indicator, when in operation, or a driving mirror, shall project laterally more than 355 millimetres beyond the centreline of the rear wheels, in the case of single rear wheels or more than 152 millimetres beyond the edge extreme outer tyres, in the case of dual rear wheels:

Provided that the State Government or any authority authorised in this behalf by the State Government, if it is satisfied that it is necessary because of the nature of any road or bridge or in the interest of public safety, may prohibit or restrict the operation of a motor vehicle in a specified route or area unless such vehicle complies with the requirements specified by the State Government for such route or area.

- (5) No part of the construction equipment vehicle or combine harvester in travel mode other than a direction indicator, or a driving mirror, shall project laterally more than 300 millimetre beyond the extreme outer edge of the tyres or wheel drums regardless of single or dual tyres or rollers.

[No. RT-11028/05/2018-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R.590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. 401 (E), dated 24th June, 2020.